

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पत्रावली (पेश) बनाम उमराव

रा. 53 एवं 88, 188 किरा 9/5

सं० 81/2017

बाद जाँच बाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज जेस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये जलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 29-5-2017 को पेश हों।

↓
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

29/5/17

पत्रावली पेश समयपक्ष
उपस्थित/पीठासीन अधिकारी जी
उमराव फर्द को पत्रावली
दिनांक 13/11/17 को पेश हो।
आदेश से सिद्ध

13/11/17

पत्रावली पेश समयपक्ष
उपस्थित/पीठासीन अधिकारी जी
उमराव फर्द को पत्रावली
दिनांक 13/11/17 को पेश हो।
आदेश से सिद्ध

24/12/17

पत्रावली पेश हुई। एसील वादिया उपासे चला गयी। प्रतिवकी को 5 मी डोक के
द्वारा हेदिग श्री प्रवीण डवाड कोरछेचने ली। सेचिनाम प्रउ नामउ पेका मजक
चाहते ही वादिया व वादिया से एसील को दिवनी ही मर्तक विचिनत मजक
विलक जाके के उपरोक्त श्री उपासे चला गयी लेके के कारण वादिया का वाद
रुका राजनी व रुका पेशी के वगैरे विच जाता ही पत्रावली के काम अकार
नी जाके फलत काके म है।

विपक्षी गणों को जेस्टर
जलवाना तलबी
हेतु दिनांक 29-5-2017
को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा (राज.)